जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/143 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 30 अगस्त 2021

जेडीए बना नाथी का बाड़ा!!!

जयपुर की प्राइम लोकेशन जेएलएन मार्ग पर स्थित, एक आवासीय भूखंड H-3,H-4,SL मार्ग,लाल बहादुर नगर,चंद्रकांता कॉलोनी पर बरसो तक चला मेरीज गार्डन उसके बाद रेस्टोरेन्ट, अब इसी जमीन पर बन रहा गेम ज़ोन!!

"सेलिब्रेशन बाय हाउस ऑफ प्ले"

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के ज़ोन 4 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या H-3,H-4,SL मार्ग,लाल बहादुर नगर,चंद्रकांता कॉलोनी पर बन रहे गेम ज़ोन "सेलिब्रेशन बाई हाउस ऑफ प्ले" का मामला|

जयपुर के स्वर्णिम इतिहास से तो आप भलीभाँति परिचित होंगे|आपको पता होगा कि कितनी मेहनत और लगन से जयपुर के महाराजा स्व. जयसिंह और उनके होशियार मंत्रियों ने जयपुर चारदीवारी स्थित पुराने शहर को सुनियोजित तरीके से बसाया था|इतिहासकारों के अनुसार पुराने शहर मे किसी आम आदमी की तो क्या किसी रसुखदार की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह नियम कायदों से परे जाकर एक ईंट भी अपने पास किए गए नक्शे से बाहर लगा सके|

लेकिन वर्तमान समय मे जहां एक तरफ रसुखदार और बाहुबली भूमाफिया और बिल्डर शहर की सुनियोजित बसावट से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे है वहीं दूसरी और सत्तालोलुप राजनैतिक कर्णधार और उनके चाटुकार भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर मनमानी तरीके से अवैध निर्माणों और सार्वजनिक भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को संरक्षण दे रहे है|माननीय उच्च न्यायालय चीख चीख कर जिम्मेदारों को अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने के आदेश दे रहा है परंतु न्यायालय के ऐसे आदेश नक्कारखाने मे तूती साबित हो रहे है|

ऐसा ही एक मामला जेडीए के ज़ोन मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या H-3,H-4,SL मार्ग,लाल बहादुर नगर,चंद्रकांता कॉलोनी का सामने आया हैजिस पर वर्तमान मे गेम ज़ोन **"सेलिब्रेशन बाई हाउस ऑफ प्ले"** का निर्माण कार्य चल रहा है|

जानकारों के अनुसार इस भूखंड पर पूर्व मे शिवम गार्डन के नाम से मेरेज गार्डन चलाया जा रहा था,जिसे बंद कर रेट्रो नामक रेस्टोरेन्ट चलाया गया|इस वर्ष कोरोना काल के लॉकडाउन मे इस रेस्टोरेन्ट की जगह गेम ज़ोन **"सेलिब्रेशन बाई हाउस ऑफ प्ले"** का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया|इस गेम ज़ोन के बाहर लगे साइनबोर्ड के अनुसार इस गेम ज़ोन का शुभारंभ अक्टूबर मे किया जाना है|

गेम ज़ोन मे जाना है तो अपने जोखिम पर जाये,क्यूंकी कोई भी अनहोनी होने पर कंपनी अपना पल्ला झाड देगी|

यदि आप अपने परिवार,मित्रों के किसी गेम ज़ोन मे जाते है तो आपसे एक फॉर्म पर साइन करवा लिए जाते है जिसमे लिखा होता है कि यदि गेम ज़ोन मे एक्टिविटी करते वक्त कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे|यह तो वही बात हो गयी जैसे कि सिगरेट के डब्बे पर तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर केन्सर होने की वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है|अमूमन गेम ज़ोन मे प्लास्टिक,फाइबर,थर्मोकोल से बने उत्पाद काम मे लिए जाते है जो कि अत्यंत ज्वलनशील होते है|चूंकि इन गेम ज़ोन मे चलने वाले खेलों मे बिजली और ईलेक्ट्रोनिक उपकरणों का बेतहाशा उपयोग किया जाता है जिससे यहा पर हादसों की संभावनाएं लगातार बनी रहती है|यह संभावनाएं तब और बढ़ जाती है जब यहा पर ऐसे हादसों से निपटने के लिए योग्य और प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध नहीं होते|ऐसे मे आवासीय भूखंडों मे बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक्शे पास करवाए चलने वाले यह गेम ज़ोन जिनकी फ़ायर एनओसी भी रिश्वत ले-देकर पास की जाती है,मानव जीवन के साथ तो खेल करते ही रहे है,साथ ही अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने वाले नासूर भी साबित हो रहे है|

जेएलएन मार्ग स्थित लाल बहादुर नगर और इसके आस-पास काटी गयी स्कीमे बनी एक ही परिवार की बपौती

आपको बता दें कि जेएलएन मार्ग के दोनों और स्थित लाल बहादुर नगर और इसके आस-पास विभिन्न नामों से काटी गयी स्कीमे एक ही परिवार की बपौती बन कर रह गयी है|इसी परिवार के सदस्यों ने जेएलएन मार्ग की करोड़ों रुपयों की जमीनो की आपस मे बंदरबाँट कर रखी है|इसी परिवार के सदस्य अपनी कब्जाशुदा आवासीय भूखंडों को किराए पर देकर/बेचकर व्यवसायिक निर्माण करवा, अवैध व्यवसायिक गतिविधियां करवा रहे है|

पूर्व मे चलने वाले शिवम गार्डन की फोटो

कोरोना से पहले चलने वाले रेट्रो रेस्टोरेन्ट की फोटो

वर्तमान मे निर्माणाधीन सेलिब्रेशन गेम ज़ोन की फोटो

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1	भूखंड का पता	आवासीय भूखंड संख्या H-3,H-4,SL मार्ग,लाल बहादुर नगर,चंद्रकांता कॉलोनी
2	संभावित गतिविधि	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
3	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन-4
4	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री विनोद जाखड़
5	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	30/08/2021

जवाब मांगते सवाल?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नही रोकने वाले लोकसेवको पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे मे जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले मे 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर मे अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे है। कोर्ट के आदेशो की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जो को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नही? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी मे माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले मे कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

1. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया जा रहा है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मानदंडो का पालन किया जा रहा है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड यू.डी. टैक्स जमा करवा दिया गया है?
5. यदि भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग के निर्माण मे किसी प्रकार की अनियमितता बरती गयी है तो उसके जिम्मेदार सक्षम प्राधिकरण के कौन-कौन अधिकारी है?
6. यदि इस आवासीय भूखंड मे नियम विरुद्ध निर्माण करवाया जा रहा है तो क्या जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार;मे दिये गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
7. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध जेडीए को आज दिनांक तक कोई शिकायत नई प्राप्त हुई है क्यूँ उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?
8. ज़ोन मे इस तरह के कितने अवैध निर्माण चल रहे है?आखिर क्यूँ जेडीए के अधिकारी क्षेत्र मे चल रहे अवैध निर्माणों पर मौन है?